बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना-800015

आवश्यक सूचना

विज्ञापन संख्या-02/2024

(डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं आशुलिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु)

आवश्यक सूचना

(प्रमाण-पत्रों का सत्यापन)

बिहार विधान परिषद् सचिवालय के विज्ञापन सं०-02/2024 के आलोक में डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं आशुलिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु अंतिम परीक्षाफल परिषद् सचिवालय के वेबसाईट पर प्रकाशित है। डाटा इंट्री ऑपरेटर एवं आशुलिपिक के रिक्त पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु अंतिम रूप से सफल अभ्यिर्थियों के प्रमाण-पत्रों का सत्यापन परिषद् सचिवालय के विस्तारित भवन में दिनांक-11.04.2025 (शुक्रवार) को 11.00 बजे पूर्वा. में होगा। अभ्यर्थी निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व उक्त स्थान पर निश्चित रूप से पहुंच जाएं। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित आवश्यक प्रमाण-पत्रों के साथ सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा :-

1. ऑनलाईन आवेदन की डाउनलोड प्रति।
2. प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति।
3. पहचान-पत्र (मूल प्रति में) यथा मतदाता पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड या ई-आधार (कलर प्रिंट) आदि में से कोई भी एक।
4. पासपोर्ट आकार का 04 (चार) रंगीन फोटो।
5. मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट का प्रमाण-पत्र (मूल प्रति एवं एक स्व-हस्ताक्षरित प्रति)।
6. हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण/कम्प्यूटर कोर्स प्रमाण पत्र (मूल प्रति एवं एक स्व-हस्ताक्षरित प्रति)।
7. आवासीय प्रमाण-पत्र (मूल प्रति एवं एक स्व-हस्ताक्षरित प्रति)।
8. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए :- ऑनलाईन आवेदन में जिस आरक्षण कोटि का दावा किया गया है उसी आरक्षण कोटि का जाति प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

   क. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना सं०-2622, दिनांक-26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पति प्रमाण-पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसूची-1 (प्रपत्र-1) में समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए।

ख. अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति एवं एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति)।

I. जाति प्रमाण-पत्र।

II. स्थायी निवासी (डोमिसाईल) प्रमाण-पत्र।

ग. पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए (मूल प्रति एवं एक स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति)

I. जाति प्रमाण-पत्र।

II. स्थायी निवासी प्रमाण-पत्र।

III. क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र।

9. प्रमाण-पत्र के सत्यापन हेतु उपस्थित अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा।

10. जो अभ्यर्थी बिना पूर्व सूचना के प्रमाण-पत्रों के जांच में उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर परिषद् सचिवालय निर्णय ले सकता है।

9/4/25

(मिथिलेश कुमार झा)

उप सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक

बिहार विधान परिषद्।